


नम्बर दीवानी वाद संख्या :- 34 / 2022 (66 / 2016)
सुंदरलाल बनाम सुधीर वगैरा

दिनांक :- 19.03.2026

वादी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मुताबिक आदेश वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं सादेश व्यादेश को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त दीवार में, वादी की संपत्ति की ओर, किसी प्रकार से दरवाजा कायम नहीं करें, कब्जा नहीं करें एवं किसी प्रकार से वादी को बेदखल नहीं करें। खर्चा उभय पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


न्यायिक मजिस्ट्रेट
सैंचक (भौसपुरा)

Satisfy